न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं. 56 / 2016

प्रार्थी–

उप अधीक्षक
जिला कारागृह
बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. कानाराम पुत्र खेताराम माली
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र खेताराम माली
3. निम्बाराम पुत्र खेताराम माली
4. ईशराराम पुत्र खेताराम माली
5. रामसिंह पुत्र मोटसिंह राजपुरोहित
6. ईश्वरसिंह पुत्र लखसिंह
7. जुगतसिंह पुत्र लखसिंह
8. लीलसिंह पुत्र पूनमसिंह राजपूत
9. सुआकंवर पत्नी राणसिंह राजपूत
10. तारी पत्नी हाजरसिंह
11. राणुसिंह पुत्र हाजरसिंह
12. पपूदेवी पत्नी किशनसिंह रा. राजपूत
13. मिश्रीसिंह पुत्र अनोपसिंह
14. देवीसिंह पुत्र लखसिंह
15. राजेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत
16. लखसिंह पुत्र पूनमसिंह
17. गेमरसिंह पुत्र उगसिंह रावणा राजपूत
18. पूरसिंह पुत्र राणसिंह
19. लखसिंह पुत्र राणसिंह
20. सवाईसिंह पुत्र राणसिंह राजपूत
21. लालसिंह पुत्र अनोपसिंह
22. पुरखसिंह पुत्र अनोपसिंह
23. लूणसिंह पुत्र रूपसिंह
24. रूपसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपूत
25. पृथ्वीसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपूत
26. इन्द्रसिंह पुत्र उतमसिंह राजपूत
27. शंकरदान पुत्र जवारदान चारण फोत के कायम मुकाम–
    27.1 भंवरदान पुत्र शंकरदान
    27.2 गोपदान पुत्र शंकरदान

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

27.3 गोविन्ददान पुत्र शंकरदान
28. निम्बसिंह पुत्र पूनमसिंह राजपूत
29. चिमनसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
30. बेबूसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपूत
31. जूंझारसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपूत
32. देरावरसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपूत
33. जगमालसिंह पुत्र बनेसिंह
34. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह
35. द्वारकासिंह पुत्र पूनमसिंह राजपूत
36. इन्द्रसिंह पुत्र गोरखसिंह राजपूत
समस्त निवासी बाड़मेर
37. नगर परिषद बाड़मेर जरिये आयुक्त

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी0बी0सिविल (जनहित) याचिका संख्या 4522/2015 अनवान भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य मे पारित आदेश दिनांक 26.08.2016 की अनुपालना मे जिला कारागृह बाड़मेर की भूमि पर अतिक्रमण की जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही के विनिश्चय बाबत विविध प्रकरण।

उपस्थिति :–
1. श्री सोहन दवे, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 28से36 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मदनलाल सिंहल, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 8,14से16,26,27 की ओर से उपस्थित।
4. श्री सुनिल बीएल रामावत, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।
5. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता, 1से4 की ओर से उपस्थित।
6. श्री रतनलाल सोनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 6 व 7 की ओर से उपस्थित।
7. श्री दलपतसिंह अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 5,9से11,16से25,36 की ओर से उप0।
8. श्री नरेश छाजेड़, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 37 की ओर से उपस्थित।
9. अप्रार्थी सं. 13 स्वंय उपस्थित।
10. अप्रार्थी सं. 12 बावजूद नोटिस व सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 05/02/2019

जिला कलक्टर बाड़मेर

1. प्रार्थी की ओर से यह विविध प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र के संलग्न डी.बी.सिविल (जनहित)

याचिका सं. 4522/2015 अनवान भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2016 की पालना मे जिला कारागृह बाड़मेर की भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हिकरण कर, अतिक्रमियों को विधिवत नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के निर्देशों के अनुसरण मे प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि जिला कारागृह बाड़मेर के नाम ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 2985/1490 व 2974/1486 की कुल रकबा 32–04 बीघा आवंटित भूमि मे से करीब 08–10 बीघा भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चा–पक्का निर्माण व आवासीय कब्जा कर लेने एवं कारागृह के बन्दी खुला शिविर हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नही होने पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर मे निरूद्ध बन्दी भंवरलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी मूढों की ढाणी जिला बाड़मेर द्वारा यह जनहित याचिका सं. 4522/2015 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रकट तथ्यों के आधार पर जिला कारागृह की भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हिकरण कर उनको हटाने से पूर्व अतिक्रमियों को विधिवत नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश इस न्यायालय को प्रदान किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण मे तहसीलदार बाड़मेर से जिला कारागृह बाड़मेर को आवंटित भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान करने के पश्चात उस पर मौजूद अतिक्रमियों की सूची व मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई।

3. तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे उल्लेखित अतिक्रमियों (अप्रार्थीगण) को जवाब एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्तागण उपस्थित होकर जवाब एवं आपत्तियां प्रकट की गई।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अप्रार्थी सं. सं. 28 से 36 की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता श्री अम्बालाल जोशी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण मे राजस्व अधिकारियों के सहयोग से सर्वप्रथम अतिक्रमण कर सर्वे किया जाकर तत्पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश है किंतु श्री दिनेश बोथरा, अधिवक्ता द्वारा किये गये एक तरफा सर्वे के आधार पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना गया है जो सही नही है। इस विवादित भूमि के संबंध मे सिविल न्यायालयों के अंतिम निर्णयों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अतिक्रमी नही मानकर सर्वे पश्चात वास्तविक अतिक्रमण सुनिश्चित कर उनका चिन्हिकरण करने के पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 176/2008 एवं 177/2008 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2010 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्थाई निशेधाज्ञा पारित कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण के कब्जे को हटाने से विबंधित किया गया है। सिविल न्यायालय की उक्त डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय अपर जिला न्यायालय बाड़मेर के समक्ष अपील सं. 3/2010 व 4/2010 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 24.11.2012 के द्वारा पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष निर्णीत होकर प्रतिवादी राज्य सरकार को सदैव के लिए पाबन्द किया गया है कि वादीगण के कब्जे मे दखलदांजी न करें। अपर जिला न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध जिला कारागृह अथवा राज्य की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है, इसलिये यह निर्णय एवं अपील डिक्रियां अंतिम हो चुकी है। सिविल न्यायालयों द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि को अप्रार्थीगण की भूमि होना निर्णीत किया जा चुका है ऐसे मे पुनः इसी बिन्दु पर सुनने का अधिकार नही है, क्योंकि उक्त सिविल प्रकरणों मे श्रीमान न्यायालय भी पक्षकार है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकट किया कि अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व अधीन भूमि जागीर उन्मूलन से पूर्व संवत् 1977 आषाढ वदी दूज

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

को बाड़मेर के जागीरदारों द्वारा जारी पट्टा जो नगरपालिका बाड़मेर मे मिसल सं. 197/1957–58 निर्णय दिनांक 12.03.1957 मे पेश किया गया, के अन्तर्गत आती है तथा क्रमशः बेचान के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा क्रय की जाकर आधिपत्य मे ली गई है। अपर जिला न्यायालय द्वारा दस्तावेजों के समग्र विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात अप्रार्थीगण के कब्जा एवं स्वामित्व को विधि सम्मत घोषित किया गया है। जिला कारागृह को आवंटन से पूर्व वन विभाग की दिवार एवं कारागृह की भूमि के बीच लगभग 218 फीट चौड़ी भू–पट्टी पर आबादी बसी हुई है। इस आबादी भूमि पर जिला कारागृह का कोई हक अधिकार नही है बल्कि कारागृह को आवंटित भूमि की वास्तविक पैमाईश की जावें तो यह तथ्य प्रकट होगा कि जेल की भूमि पर पुलिस लाईन व पावर हाउस का कब्जा है जो कि जेल की भूमि पर अतिक्रमी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपने अधिनस्थ हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी के साथ रहकर जिला कारागृह की भूमि का दिनांक 25.10.1991 को भी सर्वे किया गया था जिसमे कारागृह की भूमि खसरा नम्बर 1490/4 पर 16 अतिक्रमियों की सूची बनाई गई थी जिन्हे हटाने हेतु धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर दिनांक 31.10.1991 को पारित निर्णय के द्वारा अतिक्रमियों के पुराने कब्जे एवं रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर अतिक्रमण हटाना उचित नही मानते हुए जिला कारागृह को राजस्थान सार्वजनिक (अप्राधिकृत बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिए निर्देशित किया गया। इसके अर्न्तगत जिला कारागृह की ओर से सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही प्रस्तुत नही की गई। अप्रार्थीगण निम्बसिंह व द्वारकासिंह द्वारा दिनांक 12.02.2014 को नगरपालिका बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत भूमि नियमन पत्रावलियों मे भी नगर परिषद बाड़मेर द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1490 की भूमि राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार आबादी की भूमि होना बताया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि जिला कारागृह को भूमि आवंटन से पूर्व पुलिस लाईन को खसरा नम्बर 1489 मे 56–07 बीघा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

भूमि आवंटित हुई थी जबकि पुलिस लाईन विभाग का वर्तमान मे खसरा नम्बर 1490 की 22–18 बीघा एवं अन्य 12 खसरों की भूमि मिलाकर कुल 131–09 बीघा पर कब्जा है जिसका तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.09.1996 मे उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण अपनी विधिवत खरीदशुदा एवं स्वामित्व की भूमि पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि जिला कारागृह को आवंटित भूमि नही होने से अप्रार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए दिया गया नोटिस शुन्य है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारित जनहित याचिका मे नियुक्त न्याय मित्र श्री दिनेश बोथरा द्वारा एक पक्षीय सर्वे एवं जांच उपरांत अप्रार्थीगण को अतिक्रमियों की सूची मे रखते हुए माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समस्त दस्तावेजात के साथ पक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जिला कारागृह की भूमि पर अतिक्रमण के बाबत सर्वे उपरांत सुनिश्चित कर चिन्हिकरण करने के निर्देश दिये गये है। अतः जिला कारागृह को आवंटित भूमि का सर्वे पुलिस लाईन, पावर हाउस इत्यादि समीपस्थ भूमियों सहित सैटलमेंट के बाद इस क्षेत्र मे बनी सड़कों को ध्यान रखकर उच्च प्रशिक्षित राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा सही पैमाईश करवाई जावें जिससे वास्तविक स्थिति प्रकट हो सकेगी। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को अतिक्रमी के रूप मे दिये गये नोटिस निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मदनलाल सिंहल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1967 मे खसरा नम्बर 1490/4 रकबा 31–09 बीघा एवं खसरा नम्बर 1486/1 मे 00–15 बीघा कुल 32–04 बीघा भूमि उप कारागृह हेतु आवंटित की गई थी किन्तु कारागृह विभाग द्वारा तत्काल इस भूमि पर वर्षों तक निर्माण कार्य बाउण्डरी नही बनाई गई क्योंकि वक्त आवंटन इस भूमि पर अप्रार्थीगण के निवास हेतु मकान बने हुए थे। वक्त सैटलमेंट उक्त खसरा नम्बर 1490 की भूमि तत्कालीन जागीरदार बाड़मेर श्री उम्मेदसिंह वगैरह के नाम व उपभोक्ता

जिला कलक्टर बाड़मेर

बिला कब्जा भूमि दर्ज होने तथा जागीरदारान को पट्टा देने के अधिकार थे। इस भूमि पर कुछ व्यक्तियों के पट्टे जागीर अधिग्रहण से पूर्व मे जारी किये गये थे। बाड़मेर शहर का मौहल्ला लक्ष्मी नगर खसरा नम्बर 1490 की 279 बीघा भूमि पर सन् 1957–58 मे नक्शा आबादी का काटकर प्लॉट बनाकर विक्रय किया गया जिस पर आबादी बसी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा तत्कालीन जागीरदारान के द्वारा जारी पट्टा उपरांत निरन्तर कड़ियों मे हुए विक्रयों के क्रम मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भूमि क्रय कर कब्जा किया गया है एवं आवासीय मकान निर्माण कर निवास किया जा रहा है। मौके पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही कागजों मे भेड़ ऊन विभाग एवं जिला कारागृह को आवंटन कर दी गई जबकि वहां पहले से ही आबादी बसी हुई थी। भेड़ ऊन विभाग को आवंटित भूमि पर पुरानी आबादी बसी होने पर वर्ष 1993 के प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आमजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर भेड़ ऊन विभाग को आवंटित भूमि मे से 2–10 बीघा को छोड़कर शेष 28–18 बीघा का आवंटन खारिज किया गया था किन्तु खसरा नम्बर 1490/4 की भूमि पर बैठे 15–16 व्यक्तियों के संबंध मे कोई फैसला नही हो सका। इस अभियान के पश्चात खसरा नम्बर 1490/4 की भूमि पर बैठे लोगो द्वारा राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किये किया कि भूतपूर्व जागीरदारान से क्रय कर जेल विभाग को आवंटित भूमि पर बैठे लोगों को बेदखल करना न्यायोचित नही है। माननीय राजस्व मंत्री द्वारा दिनांक 18.08.1998 व 24.08.1998 के निर्णय के द्वारा 05–00 बीघा भूमि का फैसला 15 व्यक्तियों के पक्ष मे लेते हुए भूमि नियमन करने का लिखा गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के इस निर्णय की क्रियान्विति आज नही हुई है जबकि अप्रार्थीगण गरीब लोग तीन पीढियों से इस भूमि पर निवास करते आ रहे है। माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के निर्णय के विरूद्ध जिला कारागृह की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो दिनांक 08.11.2005 के द्वारा जरिये विड्रावल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खारिज की गई है। इसके 11–12 वर्ष पश्चात बन्दी भंवरलाल द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है जो न्यायोचित नही है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि जिला कारागृह स्वंय अपनी भूमि की मांग नही कर रहा है क्योंकि उन्हे मालूम है कि उनको आवंटित भूमि आबादी की है, इस जमीन के सामने पुलिस लाईन, पॉवर हाउस व सड़कों मे चली गई है तथा इस बाबत निचली अदालतों मे जिला कारागृह मुकदमे हार चुके है व इनके विरूद्ध कोई अपील पेश नही की गई है। वर्तमान मे इसी प्रकरण मे खेताराम के द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 140/1996 माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है व पूरसिंह की अपील सं. 142/1996 मे स्थगन आदेश प्रभावी है जिसमे यह न्यायालय भी पक्षकार है। जिला कारागृह को आवंटित भूमि के पडौस मे पॉवर हाउस, राजकीय आवास, सामने पुलिस लाईन द्वारा खाली भूमि पर चार दिवारी बना ली गई। जिला कारागृह को आवंटित खसरा नम्बर 1490/4 की भूमि मे वर्ष 1981 के बाद आबादी मे बैठे लोगों को अपनी भूमि बताकर कई बार पैमाईश की गई। कारागृह की भूमि के चारों तरफ आबादी बसी होने से सही पैमाईश मुश्किल होने से इन 15 व्यक्तियों को अतिक्रमी माना गया है जबकि इन लोगों द्वारा भूतपूर्व जागीरदारान से जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारित जनहित याचिका मे न्याय मित्र श्री दिनेश बोथरा द्वारा प्रस्तुत की गई एकपक्षीय पैमाईश व रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी कारागृह विभाग अपनी भूमि मानकर बेदखली हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जबकि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के साथ कई बार इस भूमि की पैमाईश की गई है जिसमे अप्रार्थीगण का कब्जा कारागृह को भूमि आवंटन से पूर्व होना बताया गया है। इस विवादित भूमि के सम्बन्ध मे खेताराम बनाम सरकार व पूरसिंह बनाम सरकार दो अपीले माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश जारी है जो आज भी प्रभावी है। अतः विवादित भूमि के मौके स्थिति, अप्रार्थीगण के पक्ष मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालय मे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विचाराधीन प्रकरण मे स्थगन आदेश के मध्य नजर अप्रार्थीगण के साथ न्याय करते हुए नियमन करने की कृपा करावें।

6. अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनिल बीएल रामावत द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कारागृह की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि बाड़मेर के भूतपूर्व जागीरदारान के द्वारा जारी पट्टा अधीन भूमि को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10.01.1958 क्रय की गई है। यह भूमि आवंटन के समय रकबा राज अंकित थी व खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1490 उम्मेदसिंह वगैरह के नाम व उपभोक्ता बिला कब्जा पड़त दर्ज थी जिसे जिला कलक्टर बाड़मेर अपने जवाब दिनांक 09.06.1995 मे उल्लेख किया है। उक्त भूमि मे से सन् 1967 मे बाड़मेर जेल को आवंटित हुई है जबकि अप्रार्थीगण का रहवासीय कब्जा उससे पूर्व का रहा है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वर्ष 1981 मे किये गये सर्वे मे अप्रार्थी खेताराम सहित कुल 9 लोग उक्त भूमि पर आबाद थे तथा जेल विभाग द्वारा अप्रार्थी खेताराम के कब्जे के संबंध मे वर्ष 1981 से पूर्व कभी किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई। अप्रार्थी खेताराम द्वारा माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गई जिस पर पारित आदेश क्रमांकः एफ. प.3(155)उप/95 दिनांक 18.08.1998 व 24.08.1998 के अनुसार प्रार्थी खेताराम सहित 15 व्यक्तियों के कब्जे प्रमाणित मानते हुए 05–00 बीघा भूमि निर्धारित कर खेताराम सहित 15 व्यक्तियों को दिये जाने का आदेश दिया गया। माननीय राजस्व मंत्री के आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का रिव्यु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया तथा नगर पालिका बाड़मेर द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे नियमन कर पट्टा जारी किया गया है। अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सन् 1981 मे किये गये सर्वे अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा जिला कारागृह को आवंटन से पूर्व का है जो तत्कालीन जागीरदारान से क्रय किया गया प्रमाणित होने से माननीय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्व मंत्री द्वारा नियमन करने का निर्णय दिया गया है। इस आधार पर अप्रार्थीगण जिला कारागृह की भूमि पर अतिक्रमी नही है।

7. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल सोनी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जुगतसिंह व ईश्वरसिंह के पिता लखा द्वारा बाड़मेर शहर मे आबादी क्षेत्र मे स्थित खसरा नम्बर 1490/3 व 1490/4 मे ब्लॉक संख्या 26 मे प्लॉट नम्बर 5 आया है जो दिनांक 29.03.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रेता गजेसिंह पुत्र चनणसिंह राजपूत निवासी बाड़मेर से क्रय किया गया था। उक्त भूखण्ड पर वक्त खरीद से अप्रार्थीगण के पिता लखा एवं उनके पश्चात अप्रार्थीगण का कब्जा एवं आधिपत्य लगातार चला आ रहा है। विक्रेता गजेसिंह के दादा बिंजराजसिंगोत व उसके भाईयों ने उक्त भूखण्ड व आसपास की भूमि का बाड़ा बाड़मेर के तत्कालीन जागीरदारान पांचो भारावतों से संवत् 1977 मे खरीदा था तथा इस पट्टे की असल प्रति को नगर पालिका बाड़मेर मे भवन निर्माण पत्रावली संख्या 197/1957–58 दिनांक 12.07.1957 को प्रस्तुत कर सत्यापित करवाया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा कानूनी रूप से सही एवं जायज है जिसे आज जक किसी पक्षकार द्वारा चुनौती नही दी गई है बल्कि तत्कालीन जागीरदारान को अपनी भूमि को बेचान करने, पट्टा जारी करने, सनद देना मारवाड़ जागीर एक्ट के तहत विधि सम्मत एवं पूर्ण अधिकार मे था। अप्रार्थीगण के विरूद्ध तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 118/1991 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था जिसमे जांच के बाद निर्णय 31.10.1991 पारित करते हुए अप्रार्थीगण को अतिक्रमी होना नही माना गया है। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा वर्श 1982 मे विवादित खसरा नम्बर 1490/3 व 1490/4 की भूमि के सर्वे मे अप्रार्थीगण का कब्जा सर्वे सूची मे क्रम सं. 32 मे दर्ज है। खसरा नम्बर 1490 मे से 31–09 बीघा भूमि वर्ष 1967 मे कारागृह को आवंटित हुई थी तब उक्त भूमि पर गजेसिंह वगैरह का कब्जा था व उसमे से ही अप्रार्थी द्वारा वर्ष 1968 मे पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज स्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

क्रय किया गया है। विवादित भूमि पर सर्वे अनुसार कब्जाधारियों को नियमित करने हेतु वर्ष 1998 मे तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा निर्णय पारित किया गया था जो आज भी कायम है। खसरा नम्बर 1490 की भूमि बाबत गजेसिंह वगैरह ने एक दीवानी वाद संख्या 548/2014 पेश किया है जिसमे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जावें।

8. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतसिंह द्वारा जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण दर्ज होने से पूर्व कई प्रकरणों मे दर्ज प्रकरणों मे यह न्यायालय भी पक्षकार होने से एवं सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से पैरवी करने व जवाब देने से इस न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई करने मे विबंधित होने से कानूनन सुनवाई का अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा जिला कारागृह की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पुश्तैनी स्वामित्व एवं कब्जे की है जो बाड़मेर के भूतपूर्व जागीरदारान द्वारा अप्रार्थीगण को हस्तान्तरित हुई थी तब से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण के पूर्वजों एवं बाद मे हम अप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। जिला कारागृह को आवंटन होने से पूर्व अप्रार्थीगण के राशनकार्ड, वोटरकार्ड, लाईट पानी के बिल, नगरपालिका द्वारा जारी हाउस टोकन से भी अप्रार्थीगण का कब्जा कदीमी प्रमाणित है। यह भूमि कालान्तर मे नगर परिषद के खाते मे इन्द्राज होने पर नगर परिषद बाड़मेर द्वारा इस क्षेत्र मे बिजली पानी की सुविधाऐं दी गई तथा कई व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किये गये है। अप्रार्थीगण इस भूमि पर कच्चे–पक्के आवास बनाकर निवास कर रहे है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत सरकार व नगर परिषद बाड़मेर द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं के तहत उक्त स्थल पर आबाद अप्रार्थीगण को आवास स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। वर्तमान मे कई लोगों के लिए शौचालय भी सरकार द्वारा बनाये गये है। सार्वजनिक मन्दिर भी इस भूमि पर बने हुए है। उक्त विवादित भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कारागृह को आवंटन से पूर्व अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज इस भूमि पर विधिक हैसियत से काबिज थे तथा कारागृह को भूमि आवंटन के समय मौके पर खाली नही थी। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार कारागृह की भूमि होना मानते हुए अप्रार्थीगण को जबरदस्ती कानूनी मुकदमों मे फंसाया जा रहा है। जिला कारागृह को आवंटित खसरा नम्बर 1490/4 की भूमि के आस पास मूल खसरा नम्बर 1490 व खसरा नम्बर 2340/1490, 2341/1490 के आबादी की भूमि है जो पश्चिम मे वन विभाग की बाउण्डरी व जिला कारागृह की भूमि के बीच लगभग 218 फीट चौड़ी भू–पट्टी है जिस पर आबादी बसी हुई है जो जिला कारागृह को आवंटन से पूर्व बसी हुई है। कारागृह को आवंटित भूमि की सही पैमाईश की जावे तो यह तथ्य प्रकट होगा कि कारागृह की भूमि पर पुलिस लाईन व पॉवर हाउस का कब्जा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे इसी विवादित भूमि से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका सं. 860/2004 से 870/2004 तक मे पारित आदेश का अवलोकन फरमावें जो कि रिट याचिकाऐं कारागृह द्वारा पेश की गई थी, निस्तारित हो जाने से पुनः उसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई का रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से विबंधित है। इसके अलावा शेष कथन दिगर अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के साथ न्याय करते हुए भूमि नियमन का आदेश फरमाया जावें।

9. अप्रार्थी सं. 37 नगर परिषद की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश छाजेड़ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगर परिषद द्वारा ईशराराम पुत्र खेताराम, गेमरसिंह पुत्र उगमसिंह, रूपसिंह पुत्र अनोपसिंह, पृथ्वीसिंह पुत्र रूपसिंह निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर को पट्टे जारी किय गये है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कच्ची बस्तियों मे रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए अप्रार्थी नगर परिषद बाड़मेर द्वारा पट्टे जारी किये गये है।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि जिला कारागृह बाड़मेर को ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 1490 रकबा 31–09 बीघा एवं खसरा नम्बर 1486 रकबा 00–15 बीघा कुल 32–04 बीघा भूमि मे से भिन्न व्यक्तियों द्वारा समय–समय पर कच्चा–पक्का निर्माण अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे जिला कारागृह मे बन्दी खुला शिविर हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्धता के अभाव मे केन्द्रीय कारागृह जोधपुर मे निरूद्ध बन्दियों को रखने की असमर्थता पर केन्द्रीय कारागृह मे निरूद्ध बन्दी भंवरलाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की ओर से नियुक्त न्याय मित्र श्री दिनेश बोथरा द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं कारागृह के अधिकारियों के साथ रहकर भूमि की पैमाईश की गई जिसमे अप्रार्थीगण का 07–12 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण द्वारा भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2016 के द्वारा इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि कारागृह की भूमि पर अतिक्रमण होने बाबत सुनिश्चितता कर अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए प्रभावित पक्ष को नोटिस दे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई आदेश पारित करें। जिला कारागृह को विवादित भूमि आवंटन के पश्चात अपरिहार्य कारणों से चार दिवारी के अभाव मे खुली पड़ी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है जो भूमि की पैमाईश पर स्पष्ट हो गया है। इस न्यायालय द्वारा भी आदेश दिनांक 10.01.2017 के द्वारा तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई है जिसकी पालना मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गठित पैमाईश टीम द्वारा दिनांक 06.03.2017 को पैमाईश कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि कारागृह का वर्तमान 23–10 बीघा पर कब्जा है तथा शेष 08–14 बीघा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि पर कुल 29 व्यक्तियों के नाजायज कब्जे एवं गलियां बनी हुई है। सम्पूर्ण पैमाईश से जिला कारागृह की भूमि पर अन्य किसी भी विभाग का कब्जा होना नही पाया गया है। इस प्रकार कई दौर की पैमाईश के बावजूद भी अप्रार्थीगण का कब्जा जिला कारागृह को आवंटित भूमि पर पाया गया है जो राज्यहित मे हटाया जाना न्यायोचित है। इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से सभी अधिवक्तागण का एक राय कथन है कि कारागृह विभाग को भूमि आवंटन से पूर्व ही विवादित भूमि पर उनका कब्जा व आधिपत्य था जो कि बाड़मेर के तत्कालीन जागीरदारान के द्वारा जारी पट्टों के निरन्तर मे पंजिबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर विधि सम्मत रूप मे है। इसी के साथ यह भी अभिकथन किया गया है कि वर्ष 1981 मे किये गये सर्वे के आधार पर पुराने कब्जों को नियमन करने हेतु वर्ष 1998 मे तत्कालीन राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश पारित कर कारागृह विभाग को आवंटित भूमि मे से 05–00 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया गया था तथा इस आदेश के विरूद्ध कारागृह विभाग द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका जरिये विड्रावल खारिज होने से उक्त आदेश दिनांक 18.08.1998 व 24.08.1998 यथावत रहने से 05–00 बीघा भूमि पर कारागृह विभाग का कोई हक अधिकार नही है। इसके अलावा अधिवक्तागण अप्रार्थीगण यह भी प्रकट किया गया है कि पुलिस लाईन बाड़मेर को आवंटित खसरा नम्बर 1489 रकबा 56–07 बीघा के स्थान पर अन्य विभिन्न 12 खसरों की कुल 75–02 बीघा भूमि पर भी पुलिस लाईन का कब्जा है जिसमे खसरा नम्बर 1490 की 22–18 बीघा भूमि भी सम्मिलित है ऐसे मे कारागृह की भूमि की सही पैमाईश की जावें तो वह पुलिस लाईन के कब्जे मे होना पाई जावेगी।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अभिकथनों पर मनन किया जिसमे जिला कारागृह को आवंटित भूमि के बाबत तीन प्रमुख विवाद बिन्दु प्रकट हो रहे है जो अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण स्वंय के अभिकथनों से ही

विरोधाभासी है। एक तरफ जहां अधिवक्ता अप्रार्थीगण का अभिकथन है कि जिला कारागृह को भूमि आवंटन से पूर्व ही उनका जागीरदारी पट्टों के आधार पर कब्जा–आधिपत्य मौजूद था जिसे वर्ष 1998 मे राजस्व मंत्री के समक्ष प्रस्तुत होकर कारागृह की 05–00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करवाया गया है वहीं उनका यह भी कथन है कि उनके अधिपत्य वाली भूमि जिला कारागृह को आवंटित भूमि मे नही आती है बल्कि जिला कारागृह की कम पड़ने वाली भूमि पुलिस लाईन द्वारा अनाधिकृत रूप से आधिपत्य मे ली गई खसरा नम्बर 1490 की 22–18 बीघा भूमि मे से है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि कुछ अप्रार्थीगण को नगर परिषद बाड़मेर द्वारा पुराने कब्जे नियमन कर पट्टे भी जारी किये गये है एवं इन पट्टों व पुराने जागीरदारी पट्टों के आधार पर विभिन्न अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालयों मे वाद प्रस्तुत कर निशेधाज्ञा की डिक्री भी जारी करवाई गई है। वर्तमान मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे सिविल रिट याचिकाऐं व अपीलें भी प्रस्तुत कर विचाराधीन होना बताया है जिनमे स्थगन आदेश प्रभावी होना अभिकथित किया गया है। ऐसे मे जिला कारागृह बाड़मेर को खसरा नम्बर 1490 मे से आवंटित भूमि की पैमाईश मूल खसरा नम्बर 1490 के सकल रकबा की वक्त बन्दोबस्त स्थिति एवं वर्तमान कब्जा अधिपत्य एवं भिन्न–भिन्न सरकारी कार्यालयों को समय–समय पर हुए आवंटन द्वारा विखण्डित रकबा की पैमाईश के द्वारा ज्ञात किया जाना आवश्यक है। इस हेतु उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर की अध्यक्षता मे राजस्व, बन्दोबस्त विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारियों की संयुक्त रूप से टीम मौके पर अप्रार्थीगण के रूबरू पैमाईश कर जिला कारागृह को आवंटित भूमि की वास्तविक अवस्थिति ज्ञात करें। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर इस हेतु बन्दोबस्त विभाग को पैमाईश हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं प्रतिनिधि भिजवाने हेतु लिखें। मौके पर आबादी की बसावट को मध्यनजर रखते हुए यदि आवश्यक हो तो जीपीएस तकनीकी का भी सहारा लिया जावें। उक्त संयुक्त टीम द्वारा मौके पर की गई पैमाईश उपरांत कारागृह की भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनाधिकृत कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर नियमानुसार धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही संस्थित कर पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/डिक्रियों व स्थगनादेशों का समग्र विवेचन कर प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करें।

12. आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर